ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं0 01, सैक्टर नॉलेज पार्क–4,
ग्रेटर नोएडा

पत्रांक : ग्रेनो / बिल्डर्स / 2023 / 265
दिनांक : 10, मई, 2023

प्रेस–विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित बिल्डर्स परियोजनाओं में कार्यपूर्ति प्राप्त यूनिट्स / फ्लैट्स की त्रिपक्षीय सब लीजडीड कराने की अनुमति बिल्डर्स / डेवलपर्स को प्रदान की जा चुकी हैं, इसके बावजूद भी उनके द्वारा होम बायर्स के पक्ष में त्रिपक्षीय सब लीजडीड निष्पादित नहीं कराई जा रहीं हैं:–

Sr.No.	Builder	Plot No.	Sector	No. Of Sublease Deed Can be Executed
1	Solaris Realtech Pvt. Ltd.	GH-16B	Sector-1	212
2	SJP Hotels & Resorts Pvt. Ltd.	GH-1B(1)	ETA-2	590
3	Nandi Infratech Pvt. Ltd.	GH-02C	Sec-10	451
4	Belgravia Projects Pvt.Ltd.	GH-4B	Sector 16	122
5	Ratan Buildtech Pvt Ltd	GH-01D	Sector 16	444
6	Starcity Real Estate Pvt Ltd.,	GH-14A	Sector-1	555
7	Sam India Abhimanyu Housing	GH-2	Sec 16C	27
8	Nirala Infratech Pvt Ltd	GH-04	Tech Zone-04	48
9	Solitaire Infrahome Pvt Ltd.	GC-3K/GH-3	Sector 16C	34
10	Anthem Infrastructure Pvt Ltd.	GH-07B	Sector 16B	37
11	Pigeon Buildhome Pvt.Ltd.	GH-07A	Tech Zone-04	212
12	New Way Homes Pvt Ltd	GH-10A	Techzone-4	346
13	M.I. Builder (P) Ltd.	GH-01	Zeta-01	26
14	Star Landcraft Pvt Ltd	GH-02A	Tech Zone-04	37
15	Angel Infra height Pvt. Ltd.	GC-3E/GH-3	16C	93
16	Fusion Buildtech Pvt Ltd.	GH-05A	Tech Zone-04	21
17	Enticement Infrastructure Pvt Ltd.	GH-11A	Sector-1	291

18.	M/s Panchsheel Buildtech (P) Ltd.	GH-01A	Sector 16	308
19.	M/s Mahaluxmi Infrahome (P) Ltd.	GH-03	Omicron-3	132
20.	M/s Kamroop Infrabuild (P) Ltd.	GH-01B(3)	Eta-II	32

TOTAL- 4018

उपरोक्त सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक होम बायर्स को उनके भवनों का कब्जा हस्तगत कराया जाना है । इस उद्देश्य को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यालय परिसर में रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन भी किया गया, इसके उपरान्त भी होम बायर्स के पक्ष में अपेक्षानुसार त्रिपक्षीय सब लीजडीड निष्पादित नहीं हो सकी हैं । अतः उपरोक्त सूची में उल्लेखित बिल्डर्स के ऐसे होम बायर्स, जिनके भवनों/टॉवर्स का कार्यपूर्ति प्राप्त हो चुका है एवं प्राधिकरण द्वारा सब लीजडीड की अनुमति प्रदान की जा चुकी है, वह सम्बन्धित बिल्डर्स/डेवलपर्स से सम्पर्क स्थापित कर अपने भवनों/फ्लैट्स की त्रिपक्षीय सब लीजडीड निष्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें । इसके साथ ही उपरोक्त सभी बिल्डर/डेवलपर्स को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य में अपने स्तर से होम बायर्स को आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराते हुऐ अधिक से अधिक होम बायर्स की सब लीजडीड यथाशीघ्र निष्पादित कराना सुनिश्चित करें । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित बिल्डर्स/डेवलपर्स के विरूद्ध आवंटन/लीजडीड/रेरा के प्राविधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा ।

विशेष कार्याधिकारी (बिल्डर्स)
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण